18.04.2022:—आज यह पत्रावली प्रार्थी वकील के निवेदन पर पेशी में ली गई। प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी मूल वादपत्र में कोई कार्यवाही नी चाहते। इस कारण प्रार्थी उक्त प्रार्थना—पत्र में कोई कार्यवाही नहीं चाहता। इस कारण प्रार्थी का उक्त प्रार्थना—पत्र खारिज फरमाया जावे।

अतः प्रार्थना—पत्र मूल वादपत्र के खारिज होने के करण प्रार्थना—पत्र मौजूदा सूरत मे ही खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफतर हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Avi Garg
Date: 2022.11.02 13:02:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner